

संख्या-24023(3)/2015/समन्वय
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय


निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक - 01.02.2016

कार्यालय आदेश संख्या-01/2016

विषय: सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण प्राप्त होने की सूचना से संबंधित कन्वर्जन/नामान्तरण आवेदन पत्रों का निपटान।

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 06/2015 दिनांक 20.08.2015 के अतिक्रमण में, अब इस प्रकार निर्णय किया है कि :

- (i) नामान्तरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्जन बंधक/रेहन अनुज्ञा, भूमि प्रयोग में परिवर्तन, पुनर्वास मामलों की लीज - दस्तावेजों का निष्पादन, शैक्षणिक संस्थान, एनजीओ के संबंधित शाश्वत लीज दस्तावेजों के करार का निष्पादन, विक्री अनुमति, भेंट अनुमति एवं सभी अनापत्ति मामलों में निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण (जबरन कब्जा-एन्कोवमेन्ट) के पहलू को देखा जाएगा। अगर सरकारी संपत्ति/सार्वजनिक संपत्ति पर ध्यान में लाए गए अतिक्रमण को आवेदक निर्धारित समय में नहीं हटाता है और आवेदक से इस कार्यालय को इस विषयक कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो इसी आधार पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- (ii) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- (iii) यह भूमि एवं विकास अधिकारी के अनुमोदन से जारी है।



(ए.के. मल्होत्रा)


उप भूमि एवं विकास अधिकारी

प्रति:

- 1 सभी उप भूमि एवं विकास अधिकारी/अभियंता अधिकारी
- 2 सूची के अनुसार सभी अनुभाग
- 3 विधि परामर्शदाता
- 4 वेबसाइट पर लोड करने के लिए, एनआईसी कक्ष

प्रतिलिपि

- 1 निजी सचिव, भूमि एवं विकास अधिकारी महोदय



उप भूमि एवं विकास अधिकारी